

समाहरणालय, मुंगेर

(जिला विकास शाखा)

आदेश

कब्रिस्तान घेराबन्दी योजनान्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, सदर (मुंगेर) के द्वारा अभिलेख पर अनुशांसा प्राप्त प्रस्ताव एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, मुंगेर के पत्रांक-873/अनु0 दिनांक-24.08.2018 के द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निम्न तालिका में उल्लेखित योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सरकार के प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-9811/दिनांक-07.11.2012 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में तालिका में उल्लेखित योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व कार्यपालक अभियंता, LAEO को सौंपा जाता है। कब्रिस्तान घेराबन्दी मद में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मुंगेर को गृह विशेष विभाग से प्राप्त प्रावंटन में से उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा।

कार्यकारी एजेन्सी द्वारा योजना का क्रियान्वयन सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। स्वीकृत कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना का मूल अभिलेख प्राक्कलन सहित कार्यकारी एजेन्सी को वापस किया जाता है। योजना का विवरण निम्नवत है:-

क्र0	स्वीकृत योजना(कब्रिस्तान)का नाम	कार्यान्वयन एजेन्सी	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1.	मुंगेर जिले में स्थित चुरम्बा ईसाई कब्रिस्तान की घेराबन्दी कार्य।	कार्य0अभि0,स्था0क्षे0 अभि0सं0, कार्य0प्र0, मुंगेर।	60,10,800.00 /-	60,10,800.00 /-
2.	मुफसिल थाना मुंगेर के निकट स्थित मौजा मुजफ्फरपुर कासिमबाजार में अवस्थित ईसाई कब्रिस्तान की घेराबन्दी कार्य।	कार्य0अभि0,स्था0क्षे0 अभि0सं0, कार्य0प्र0, मुंगेर।	23,32,800.00 /-	23,32,800.00 /-
		कुल	83,43,600.00 /-	83,43,600.00 /-

मो0 तेरासी लाख तेतालीस हजार छः सौ रुपये मात्र।

शर्त :-

- 1-संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को आदेश दिया जाता है कि प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य करारेंगे।
- 2-योजना का कार्यान्वयन 03 (तीन) माह के अन्दर निश्चित रूप से पूर्ण करारेंगे तथा विहित प्रपत्र में पूर्णता प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करारेंगे। किसी भी परिस्थिति में कार्य अवाधि का विस्तार मान्य नहीं होगा।
- 3-कार्य के प्रारम्भ, अन्त तथा बीच-बीच में कब्रिस्तानों का फोटोग्राफ लेंगे तथा प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 25 तारीख तक अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे।
- 4-कार्य स्थल पर योजनाओं का साईन बोर्ड लगायेंगे।
- 5-योजना क्रियान्वयन के पूर्व कार्यकारी एजेन्सी योजना स्थल का निरीक्षण कर आश्चस्त हो लेंगे कि इस योजना में विगत पाँच वर्षों से किसी विभाग/मद द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। यदि कार्य स्थल पर किसी प्रकार का कार्य पूर्व से किया हुआ पाया जाय, तो कार्य आरम्भ करने से पूर्व इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- 6-कार्य की गुणवत्ता की सारी जिम्मेवारी संबंधित कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
- 7-योजना का निरीक्षण एवं प्रवेक्षण संबंधी कार्य अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- 8-किसी भी योजना में निजी जमीन पर कार्य नहीं होना चाहिए, यदि किसी समय यह पता चलता है कि कोई योजना किसी व्यक्ति विशेष कि निजी जमीन पर कार्यान्वित की जा रही है तो इसकी सारी जबाबदेही कार्यान्वयन एजेन्सी की होगी।

- 9-काब्रिस्तान घेराबंदी मद में उपलब्ध करायी गयी राशि को व्यय किसी अन्य मद में नहीं करेंगे तथा व्यय के उपरान्त काब्रिस्तान-वार, विपत्र-वार, डी0 सी विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगे, ताकि प्राहस्ताक्षरित कर डी0 सी0 विपत्र महालेखाकार, बिहार पटना को भेजा जा सके।
- 10-राशि व्यय के उपरान्त काब्रिस्तानवार उपयोगिता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगे।

11 उपरोक्त उल्लेखित शर्तों का प्रविष्टि कार्यादेश एवं एकरारनामा में अंकित करेंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुसंगकः-प्राक्कलन का मूल प्रति संलग्न।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक.....176...../जि0वि0, दिनांक 1/10/2018

प्रति:पि-कार्यपालक अभियंता,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल,मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर (मुंगेर)
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति:पि-कोषागार पदाधिकारी/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
मुंगेर

27/9